

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै.से./पी-63/2018/

दिनांक:-

आदेश

पदमनी कुन्जम्मा एन. महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोर्डिया खण्ड फलोदी, जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 17.02.1962 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.11.1986 है को उनकी स्वयं के प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31.10.2018 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

अ

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै.से./पी-63/2018/1491

दिनांक:- 23/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 2489/एम/एमएण्डएच/18 दिनांक 16.10.18 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 7644/एसीएस/एम एण्ड एच/2018 दिनांक 18.10.2018 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 2075 दिनांक 15.10.2018 के संदर्भ में।
4. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

अ

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर